(II)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 19th July, 2016, has adopted the following motion:-

> "That this House do appoint Dr. Kirit Somaiya to serve as member of the Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016 *vice* Shri P. P. Chaudhary resigned from the Joint Committee on his appointment as Minister."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up Calling Attention to a matter of urgent public importance. Shri A. U. Singh Deo to move.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising due to floods in the country, particularly in Odisha and preventive measures taken by the Government

SHRI A. U. SINGH DEO (Odisha): Sir, I beg to call the attention of the Minister of State in the Ministry of Home Affairs to the situation arising due to floods in the country, particularly in Odisha and preventive measures taken by the Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, this is in response to the Calling Attention made by Shri A. U. Singh Deo, Shri Naresh Agrawal, Shrimati Viplove Thakur and other hon. Members regarding 'Situation arising due to floods in the country, particularly in Odisha and preventive measures taken by the Government.' Sir, do I need to read the whole thing? *...(Interruptions)...* If you agree, Sir, it should be treated as read, otherwise, I can read it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; the question is, you only distributed it now. If you don't read it, then, how can they put questions? So, it is better that you read it.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, India receives heavy rainfall from June to September every year during the South West (SW) Monsoon Season. The rainfall during this period accounts for about 70-90 per cent of the total annual rainfall over India. As a consequence of this rainfall, flooding of rivers is a natural phenomenon. This year after a delay of one-week from its normal date, the monsoon has already covered the entire country by 13th July, 2016. In terms of area-wise distribution, 83 per cent of the area in the country received excess/normal rainfall and 17 per cent of the area received deficient rainfall till date. Over 40 million hectares land of the country is prone to floods and river erosion. The flood-prone regions of India are

the Himalayan Rivers Basin (Kosi and Damodar Rivers in particular), the North Western River Basin (Jhelum, Ravi, Sutlej and Beas Rivers) and the Central and Peninsular River Basin (Narmada, Chambal, Godavari, Krishna and Cauvery River).

During the current South West monsoon season, various parts of the States of Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal reported to have been affected by heavy rains/flash floods and rain-oriented calamities of varying degrees. As per the information of damage received from these States, 196 persons have lost their lives; 2,184 cattle heads have perished; 38,285 houses/huts have been damaged and about 0.357 lakh hectares of crop area has been reportedly affected due to heavy rains. And, about 42 districts in 5 States remains severely affected.

Primary responsibility to deal with natural calamities lies with the State Government concerned. The Central Government supplements the efforts of the State Governments by providing financial and logistic support to effectively deal with such exigent situations. The concerned State Governments have been taking necessary relief, preparedness preventive measures, which, *inter-alia*, includes evacuation and shifting of people to safer places, setting up of multipurpose relief shelters/camps, providing gratuitous relief, safe drinking water and distribution of essential commodities, etc. The State Governments have also taken necessary health and hygiene measures to prevent outbreak of any epidemic during floods/post-flood calamity period. State authorities are monitoring rainfall in coordination with the IMD and issuing weather advisories to all vulnerable districts.

With regard to Odisha, there are 11 major rivers in the State which causes floods. About 30 districts encounter flood-like situation in Odisha. Of which, 17 districts have been identified as more vulnerable. However, at present, the situation is normal in the State and no major damage has been reported so far. The State Government is closely monitoring preparedness of the districts to deal with any eventuality. The Ministry of Home Affairs is also keeping a constant round the clock watch on the flood situation in the country, including Odisha.

To ensure effective preparedness, Ministry of Home Affairs conducted annual meeting of Relief Commissioners/Secretaries, Department of Disaster Management of States/UTs on 18th May 2016 to review the status of preparedness and to discuss other disaster management related issues. The representatives of various Central Ministries/Organizations rendering emergency support functions also participated in the meeting. During conference emphasis was laid on close coordination with forecasting agencies such as Central Water Commission (CWC), India Meteorological Department (IMD) and INCOIS.

[Shri Kiren Rijiju]

As stated earlier, the State Governments concerned are primarily responsible for undertaking necessary rescue, relief and preventive measures in the wake of natural calamities. Apart from providing logistic support, the Government of India supplements the efforts of the State Governments by extending financial assistance through the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) as per the laid down procedure. An amount of ₹ 8,938 crore has been allocated as Central share to all the States in their SDRF accounts for the year 2016-17. An amount of ₹ 3,431.02 crore has so far been released, as the first instalment of Central share of SDRF for the year 2016-17 to 20 States.

The Ministry of Home Affairs has deployed about 64 specialized teams of NDRF in 24 States and UTs with 207 boats for necessary search and rescue equipment. Pre-positioning of the NDRF teams has already been done at 32 different locations in the country depending on the vulnerability profile of the area. The NDRF also conducts mock drills along with the relevant departments and State agencies in the country for effective management of floods, response and rescue operations.

Hon. Prime Minister has reviewed the flood preparedness of the nation *via* PRAGATI on 29th June, 2016.

I would like to assure the hon. Members that the Government of India give due importance to the valuable suggestions given by them during the discussion to deal effectively with the situation caused by floods and other natural calamities. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A. U. Singh Deo. You can take only five minutes because we have 15 speakers.

SHRI A. U. SINGH DEO : Sir, flood is a major natural disaster and a recurrent phenomenon across many parts of the country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please try to seek only clarifications.

श्री ए. यू. सिंह दिवः सर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो 10 साल के तथ्य दिये हैं, उसमें 20 डिजास्टर हुए हैं, उसमें 11 डिजास्टर्स फ्लड और क्लाउडबर्स्ट के थे।

The Working Group on Flood Management highlighted that 1612 lives have gone; properties worth ₹ 8,12,005 crores have been lost in floods. A report, after the Chennai floods, says that ₹ 20,000 crores were spent on that. It was, probably, one of the most expensive natural disasters in the world. Although the coastline of Odisha is only about 17 per cent of the Indian East Coast, it has been affected nearly by 35 per cent of the cyclone storms. And, 85 per cent of the cyclones originate in the North India, affecting the coastal stretch of Andhra Pradesh and Odisha.

सर, एक Dutch Research Center Team ने national climate change के बारे में in the month of December 2015 एक रिपोर्ट बनाई थी। It was pointed out that the world-wide economic losses from river flooding would increase by 24 per cent by the end of 21st century, if no further action is taken. Over 70 per cent of this increase can be attributed to economic growth in the flood-prone areas, according to that study.

सर, मैं आता हूं। सर, जो फ्लड्स उत्तराखंड में हुई हैं, हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, बिहार में हुए हैं, ओडिशा में हुई हैं, उसमें especially hilly areas में soil erosion, environment, trees जो निकाल दिए गए हैं, उनकी वजह से फ्लड्स आती हैं। हमने क्या स्टेप्स लिए हैं? जैसे कि केदारनाथ में फ्लड्स आयी थी, वहां पर रिवर्स के ऊपर तक घर बना दिए गए, तो फ्लड्स नहीं आएगी, तो क्या आएगा? वहां पर नदी को फैलने की जगह नहीं मिलती है। जब नदी को फैलने की जगह नहीं मिलती है, तो फ्लड्स काफी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं? इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर हमारी ecology बहुत sensitive है। उसमें हमने ecology को बनाने के वास्ते क्या स्टेप्स लिए हैं? कहते हैं कि पेड़ लगें, पेड़ रहें, तो जमीन कायम रहती है।

आप दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली में अरबन एरियाज़ के फ्लड्स देख लीजिए। यहां पर एक घंटे की rain होती है और चारों तरफ फ्लड दिखाई देती हैं। किसी अंडर पास के पास चले जाइए, तो कोई भीग कर जा रहा है, कोई चल कर जा रहा है, कोई कपड़े खोलकर जा रहा है, यह हाल दिल्ली का है। This is a national shame. दिल्ली भारत की कैपिटल है, जहां पर एक घंटे की बारिश के बाद कोई चल नहीं सकता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आप यमुना नदी को देख लीजिए। यमुना के चारों तरफ लोग बस गए हैं। उसको फैलने की जगह नहीं है, इसलिए फ्लड नहीं होगी, तो क्या होगा? इसके बारे में हमारी क्या सोच है? फ्लड्स आ जाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बारे में आपने कई चीजें बता दीं कि आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, आप हैल्प करते हैं। आप फ्लड्स से पहले उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। अरबन एरिया की फ्लडिंग है, हिल एरिया फ्लडिंग है, नॉर्मल एरिया फ्लडिंग है, इनके लिए आप क्या करते हैं?

सर, जो रास्ते बनते हैं, उसके लिए इंजीनियर्स को, कांट्रेक्टर्स को उत्तरदायी रखना चाहिए, उनके ऊपर फाइन होना चाहिए। सर, सेंट्रल वाटर कमीशन मेरी समझ से सही काम नहीं कर रहा है। उसकी एडवाइस अजीब सी रही है। हमारे ओडिशा में एक पोलावरम प्रोजेक्ट है। कई बार प्रधान मंत्री जी को हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिखा है। कई बार हम लोगों ने कई मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की है। कोई एक स्टेट को फायदा कर रहा है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र को बुलाकर कोई यह नहीं पूछता है कि आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा दो हजार हेक्टेयर लैंड ट्रायबल एरिया का डूबता चला जा रहा है। ...**(समय की घंटी)**... Sir one more point. हमारा उसमें क्या नुकसान है? कोई हमसे पूछे ....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question. ...(*Time-bell rings*)... Already, your five minutes are over.

SHRI A. U. SINGH DEO: Sir, my question is this — क्या छत्तीसगढ़ स्टेट को सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने अनुमति दी है कि वे महानदी के ऊपर बैराज़ बनाएं, जहां ओडिशा का पानी बंद हो, जहां ओडिशा की खेती में असुविधा हो? Several projects like Ambaguda Diversion, Salka Diversion, Lachhanpur Diversion and Arpa-Bhaisajhar Barrage are under execution. हमें पता भी नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। हमारी स्टेट को यह पता भी नहीं है कि ये projects execute हो रहे हैं। CWC ने उनको permission दी है। आप हमें यह बताने की कृपा करें कि आपने permission दी है और हमारी State को involve किया है? मैं चाहता हूं कि एक high level की एक मीटिंग बुलाई जाए, चाहे प्रधान मंत्री के स्तर पर, चाहे आपके स्तर पर या मंत्री के स्तर पर। उसमें हमारी State के लोगों को तथा और States के हैडज़ को भी बुलाया जाए और यह बताया जाए कि इससे जो हमारा नुकसान हो रहा है, जब हम लोग उस पर object कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? यही मनोभाव जब UPA सरकार पावर में थी, उसका था और आज यही मनोभाव आप लोगों का है, जबकि आप पावर में हैं। मैं इसको आपकी नजर में लाना चाहूंगा। हमारे राज्य के पश्चिमी ओडिशा में बहुत ही क्षति हो रही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री ए. यू. सिंह दिवः यह पानी बंद हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज का ....**(समय की घंटी)**... सम्मान करेंगे, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI A. U. SINGH DEO: One more point, Sir. There is a National Platform for Disaster Risk Reduction. It is a Committee appointed by the House. I am its member. I am grateful that I am its member. But there has not been a single meeting while so many disasters have taken place. So, what is the status of the National Platform for Disaster Risk Reduction? कमेटी कब बैठेगी, हमें बताया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you. Now, Shri Naresh Agrawal. Not present. Then, Shrimati Viplove Thakur. Madam, take only three minutes.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, it is a very serious matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No question.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Sir, it is not a question of three minutes or five minutes. We have to. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a question of three minutes!

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Sir, this is not.. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question in three minutes.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no favouritism to a particular Member. I stopped him after seven minutes.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः हिमाचल प्रदेश में ...**(व्यवधान)**... इतनी बात हो रही है, इन्होंने कहीं पर भी hilly areas के लिए स्पेशल जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वहां पर अगर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो सड़कों का होता है। आपका area भी hilly area है। वहां पर सड़कें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास उनके रख-रखाव के लिए, maintenance के लिए पैसा नहीं है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को ध्यान में रखते हुए उन सड़कों के लिए कोई स्पेशल पैकेज देगी, ताकि उनका ठीक प्रकार से रख-रखाव हो सके और वहां की पब्लिक को सहूलियत हो सके? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और कहीं कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि इसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए। Hilly areas में cloudburst ज्यादा होते हैं, उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में रिसर्च की जाए। Dopplers की बात आती है, आप सूनामी आदि की तो प्रिडिक्शन कर देते हैं, लेकिन आज cloud burst का कहीं भी जिक्र नहीं होता कि यह होने वाला है, जिससे कि जनता सम्भल सके और जनता अपना पूरा ध्यान रख सके, अपने लिए सुविधाजनक जगह ढूंढ सके, ऐसा कुछ नहीं है।

हमारे प्रदेश हिमाचल में फॉरेस्ट है, लेकिन हमें फॉरेस्ट का कुछ भी नहीं मिलता है। अभी प्रधान मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, हमारे मुख्य मंत्री ने उसके लिए स्पेशल प्रावधान के लिए बोला था, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कटेंगे, तो फ्ल्ड्स आएंगी और जमीन खिसकेगी तथा जो लोग वहां रहते हैं, उनका नुकसान होगा, तो उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। इसे भी Disaster Management के अन्तर्गत लाना चाहिए। फॉरेस्ट लगाने या उसकी देखभाल करने के लिए हमें पैसा मिलना चाहिए जिससे कि हम अपने प्रदेश के लिए अच्छी तरह से कार्य कर सकें। सर, हमारे यहां किन्नौर में 50 करोड़ के करीब मूल्य की सेब की फसल खराब हो चुकी है। वह बारिश की वजह से खत्म हो गयी है। चम्बा व तीसा में फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसके बाद यहां से टीम जाती है और वह जब तक रिपोर्ट देती है, तब तक या तो वे कर्जे के तले दब जाते हैं या आत्म-हत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आपको इस तरह के नुकसान का पता करने के लिए जल्द-से-जल्द टीम भेजनी चाहिए। जब आपको प्रदेश सरकार बताती है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो उस पर शक क्यों किया जाता है? आपकी तरफ से वहां टीम भेजने की क्या आवश्यकता है? क्या वे कुछ ज्यादा देख लेंगे? क्या उनको ज्यादा समझ है? हमारे यहां जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वे प्रदेश के चप्पे-चप्पे को पहचानते हैं, गांव-गांव को जानते हैं, क्या वे गलत सर्वे करते हैं? इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए। मंत्री जी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। लोगों को राहत उसी समय मिलनी चाहिए जब उनको जरूरत है। बाद में जो राहत आती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। उससे लोगों को कोई सहानुभूति नहीं रहती है। इसलिए आपको सही कदम, सही समय पर उठाने चाहिए।

सर, किन्नौर का एरिया बॉर्डर का एरिया है, इसलिए उस क्षेत्र पर आपको विशेष ध्यान देकर वहां की सड़कों के रख-रखाव के लिए पैसा जल्द-से-जल्द भेजना चाहिए। महोदय, दिल्ली में भी फ्लड आ रही है। यहां भी दो-दो घंटे के लिए लोग जाम में फंसे रहते हैं। आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri D. Raja, beware of the time-limit.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Yes, yes.

The Statement says, 'the primary responsibility to deal with the natural calamities lies with the State Governments'. Agreeing with that, I would like to tell the Minister that we need a national level understanding and policy to prevent natural calamities, to face natural calamities. Last Session, we had discussion on drought; this Session, we are having discussion on floods, and in the next Session again, we will be having discussion on drought or flood. So, it is a question of management of water resources. Sir, in the context of global warming, climate change, the country needs a proper, appropriate water management policy to protect our water bodies, including lakes and rivers. Sir, the increasing urbanization has led to a situation where the river beds have become real estates. Even the dams which are built, whether they are built on the basis of scientific study and report itself raises several questions. In this background, I would like to ask a few questions from the Government. Number one, a couple of years back, we witnessed severe floods in Uttarakhand; a year back, we had heavy rains and floods in Chennai and several districts of Tamil Nadu. What lessons have we drawn, both the Central Government as well as the State Governments? Here, the Government will have to address this question because we discuss and it goes as business as usual. What lessons do we draw and what action do we take on those lessons? This is one question. Now, Sir, in India, we have to look at our rivers. We have many rivers and the Minister has listed several rivers. But there is a demand of interlinking of rivers. In fact, the Andhra Pradesh Government initiated some steps to link the Godavari and Krishna rivers. How far they succeeded is another issue, but they took some efforts to link the Godavari and Krishna rivers within their States. Has the Central Government been holding any discussions with State Governments on this issue? Can the Central Government initiate a discussion on this issue, because now we will have to conserve and preserve water? Water is going to be a huge issue in the coming days. In a country like India, we have adequate water bodies, but they are not protected; we have rivers, but they are not protected. Rivers are being occupied. Riverbeds are becoming real estate. How are you going to tackle this situation? What should be our understanding at the national level, at the level of the Central Government? You talk about the National Disaster Response Fund. Let me tell you that the Tamil Nadu Government asked for more than ₹ 25,000 crores, but the Central Government gave just ₹ 2,500 crores. What kind of an approach is this? How to find a balance in the distribution of disaster relief funds? These are all questions which the Central Government cannot wash its hands off saying, it is the primary responsibility of States and that the Centre can give supplementary financial assistance or logistics support. What is this supplementary

assistance? You have the National Disaster Relief Fund with you and you have to take a call. There are demands. You must go by your Central Teams' reports. You send Central Teams to the affected States, but on the basis of those reports, you must take action and help the States face natural calamities.

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri A. Navaneethakrishnan. You have three minutes.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Thank you, hon. Deputy Chairman Sir. I thank the hon. Chief Minister, *Amma*, for giving me this second opportunity. I have been re-nominated.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. So, you have been re-nominated. I thought something else happened. ...(*Interruptions*)... I too congratulate you on your re-nomination. But take only three minutes.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, it is his maiden speech! ...(*Interruptions*)...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Touching her golden feet, I may be permitted to say a few words with regard to the floods.

Sir, I have carefully gone through the statement made by the hon. Minister. Now, as rightly pointed out by the hon. senior Member, Shri D. Raja, the Central Government is primarily responsible for undertaking necessary rescue, relief and preventive measures in the wake of natural calamities. Apart from providing logistics support, the Government of India supplements the efforts of the State Governments by extending financial assistance through the State Disaster Relief Funds and the National Disaster Response Fund as per the laid down procedure. Now, in the last year's floods, Tamil Nadu was saved because of the best efforts made by the hon. Chief Minister, *Amma*. She had immediately released funds to the extent of ₹ 3,039 crores by passing six EOs and she trained more than 10,000 officials for this purpose. Also, all precautionary measures were taken. Even after the floods were over, she extended valuable service to the people of Tamil Nadu. Now, as per the assessment made by the State Government, hon. *Amma* has sought an assistance of ₹ 25,912.45 crores from the Government of India, but so far, they have released just ₹ 1,737 crores. Even that amount was distributed by hon. *Amma* at one stroke, without any complaints. Now, I would sincerely and earnestly urge the Central Government to release the remaining funds, as this issue has been raised by the hon. Chief Minister, *Amma*, time and again. Please release the funds and do the needful.

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much for keeping up the time. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, देश में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जो सवाल सदन में आया है, उसके ऊपर हमारे नरेश अग्रवाल जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें 196 लोगों की जानें गई हैं और 2,184 पशुओं की जानें गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनके पास मानव के बारे में तो सही सूचना हो सकती है, लेकिन इनके पास पशुओं की कोई गिनती नहीं है, कृषि की कोई गिनती नहीं है, मकानों-झोंपड़ियों की कोई गिनती नहीं है। जब 1952 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आँकड़ा आया था, तो यह 25 मिलियन हेक्टेयर था और 2012 में जो आँकड़ा आया, तो यह 50 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। इस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बढ़ा है, क्योंकि मानव सभ्यता नदियों के किनारे, झीलों के किनारे बसी है और ज्यादातर लोग वहां बस गए हैं।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि दैवी आपदा कोष सेंटर के पास होता है और माननीय मंत्री जी के पास इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी नदियां लगातार उथली होती जा रही हैं और उनमें सिल्ट जमता जा रहा है। उसका कोई प्रबंधन नहीं है। शहरों में जल निकासी की जो व्यवस्था है, उसके लिए इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। जब तक जल निकासी सही नहीं होगी, तब तक पानी का ठहराव होगा। इससे अपने आप चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, वह बाढ़ से प्रभावित रहेगा।

मान्यवर, पूरे देश में करीब पांच राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में तमाम नदियों में बाढ़ की स्थित बनी हुई है। इनमें कुछ नेपाल से आने वाली नदियां हैं। माननीय मंत्री जी, नेपाल सरकार लगातार कह रही है कि आप बांध बनाइए और अपना इंतजाम करिए, लेकिन हमारी केंद्र सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जगे और जो नेपाल सरकार कह रही है कि आप अपना बांध बनाइए, क्योंकि वहां से इकट्ठा पानी आता है, आप इस ओर ध्यान दीजिए। वह पानी सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित करता है और लाखों-करोड़ों लोगों का नुकसान करता है, जन-धन की हानि करता है और लोगों की फसल बरबाद करता हुआ चला जाता है।

इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने इसके बारे में कहा था। मैं अपने नेता, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय प्रो. राम गोपाल यादव जी को बधाई दूँगा कि उन्होंने मुझे दोबारा इस सदन में भेजा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके पास मानव जीवन को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मल्लाह का बेटा हूँ, fisherman का बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक fisherman का 14 साल का बेटा समुद्र में 14 किलोमीटर तक तैर जाएगा, वह नदी में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तैर जाएगा और लौट आएगा। उसको अलग से कोई सेफ्टी जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह छोटी सी किश्ती लेकर समुद्र में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मछली मारने चला जाता है। हमने माँग की थी कि लोगों को दैवी आपदा से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए आप अपनी नेवी में, अपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स में इनके लिए 50 परसेंट रिजर्वेशन करिए। ये traditional लोग हैं। जब तक आपके पास traditional लोग नहीं होंगे, आप इस तरह की आपदा का मुकाबला नहीं कर पाएँगे। आपके लोग बाढ़ के समय हाथ खड़े

कर देते हैं। जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं, आप उनको जल पुलिस में भर्ती कर लेते हैं और जब आप उनको वहां भेजते हैं, तो वे कहते हैं कि हम नहीं जाएँगे। वे नाव में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं और घूम कर चले आते हैं और लोग टीलों पर बैठे हुए, घरों के ऊपर, मकानों के ऊपर बैठे हुए, पेड़ों पर बैठे हुए चिल्लाते रहते हैं। चूँकि वहां कोई कैमरा नहीं होता है, कोई मीडिया नहीं होती है, तो इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जल पुलिस में, नेवी में, एयर फोर्स में, सभी में इनके लिए कम से कम 50 परसेंट रिजर्वेशन की व्यवस्था करिए। लोगों को बचाने के लिए अलग से तमाम रेजिमेंट बने हुए हैं। बाढ़ से बचाने के लिए आप इनकी रेजिमेंट अलग से बना दीजिए।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूँगा कि इनके पास नावों का कोई बंदोबस्त नहीं है, ...**(समय की घंटी)**... स्टीमर्स नहीं हैं और इनके पास कोई पूर्वानुमान नहीं है कि बरसात कब होने वाली है और कितनी वर्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार के पास योजना होनी चाहिए।

मान्यवर, अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई दूँगा कि एक दिन में 5 करोड़ वृक्ष लगा कर उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे देश में वनों की कटान हो रही है, जिसके कारण बाढ़ की आपदा को झेलने के लिए हमारी नदियां तैयार नहीं हैं। पानी सीधे मैदानी क्षेत्रों में, बस्ती के क्षेत्रों में चला जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि हमने यहां जो प्रश्न रखे हैं, वे उनका उत्तर देने का काम करें।

धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, reduction of forests and trees in urban areas, construction along the river bedside and urbanisation of flood plains have increased the incidence of floods. A study shows that by the end of 21st century, the economic losses due to floods will be manifold. What are the plans that the Government is having to address this issue? Neither the people nor the Government is taking this issue very seriously.

Secondly, these floods and other things are caused by two things - one by natural calamity and the other by way of mismanagement. As my colleague, Comrade Raja, pointed out, either we discuss about drought or about flood. One part of the country is affected by the flood and the other part is affected by the drought. This could be rectified. We have been telling for long that linking of rivers alone would put an end to this issue, but that has not been taken seriously also. At least, the rivers in Southern side could be linked, which would save the Southern part of the country from being affected by the drought. Water is wasted by way of flowing into the sea without being utilized in some areas, and some other areas are suffering without water. So, the Government should concentrate very seriously on linking of the rivers, so also about controlling the urbanisation of the river bedside and cutting down of forests and trees in urban areas.

[Shri Tiruchi Siva]

Then, there is one more thing. Would the Government consider reviving the compensation part, which is calculated by way of only revenue unit? Whereas some of the land owners are affected within a revenue unit, they are not taken into consideration. So, I would urge the Government to kindly consider giving the compensation not on the basis of revenue unit. People, who are affected, either individual or a section of people, in a revenue unit, could also be considered. These two things are very important because this way of calculation deprives many people, who are affected by way of flood, from getting the compensation. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Siva, for adhering to the time limit. Now, Shri Veer Singh.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं।

महोदय, पूरे देश में वर्षा के कारण हर वर्ष तबाही आती है, बाढ़ आती है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में आज काफी बातें कही हैं।

महोदय, जब वर्षा के कारण बाढ़ आती है, तो पूरे देश में तबाही आ आती है। इससे किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं, मकान बह जाते हैं और धन-जन की तमाम तरह की हानि होती है और ऐसा प्रतिवर्ष होता है। अभी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर जो चक्रवाती तूफान 'रोनू' का खतरा बना हुआ है, उसकी चेतावनी पहले ही दे दी गई है। 'रोनू' की वजह से आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में जान-माल की काफी क्षति हुई है। जगह-जगह पेड़ और बिजली के खम्भे टूट कर गिर गए हैं। भारी बरसात और तेज हवाओं की वजह से वहां बहुत नुकसान हो चुका है और आगे भी और अधिक नुकसान होने की संभावना है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, दोनों को पहले से ही सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही वहां ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई जानी चाहिए।

महोदय, उत्तराखंड में अधिक वर्षा और बादल फटने के कारण हमेशा सबसे ज्यादा तबाही आती है। जब बादल फटते हैं, तो पहाड़ों में भूस्खलन बहुत अधिक होता है, जिससे गांव के गांव खिसक कर नीचे आ जाते हैं, साथ ही तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। सरकार को इस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए। जो गांव ऐसी जगह बसे हैं, जहां पर खतरा अधिक है, उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह पर बसा दिया जाना चाहिए। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं।

महोदय, उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं, उन पर जो बांध बने हैं, ज्यादा बरसात के दिनों में उन बांधों में ज्यादा पानी आ जाता है और जब वह पानी छोड़ा जाता है, तो मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ आ जाती है। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने से किसानों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है, उनकी फसलें बरबाद हो जाती हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मवेशी मारे जाते हैं। आंकड़ों में यह बताया भी गया है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से उनको जो राहत सहायता मिलती है, वह उन तक समय पर नहीं पहुंच पाती है, बहुत देर से पहुंचती है।

जिस गरीब का घर बरबाद हो जाता है, उसके पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं बचता है। ऐसे लोगों के लिए समय पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, हम सब यह जानते हैं पूरे देश में इस तरह की बहुत सारी नदियों के किनारे लोग बसे हुए हैं, जिनमें हर साल बाढ़ आती है। दिल्ली में भी यमुना के किनारे बहुत सारे गरीब लोग बसे हुए हैं। तो उन गरीब लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करके उनको मकान बना कर दे देने चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने "मान्यवर श्री कांशीराम गरीब आवास योजना" चलाकर गरीबों को लाखों मकान देने का काम किया था। उसी प्रकार से गरीबों को अलग से चिह्नित करके आप लोगों को भी, केंद्र सरकार को भी उनको मकान देने चाहिए। इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव यह है कि आज पूरे देश में नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, वहां भू-माफियाओं ने नदियों की जमीनों पर कब्जा करके कॉलोनियां बसा दी हैं, जिनको बड़े रेट्स में बेचा जा रहा है। जो इन नदियों के किनारों की जमीन को घेरा गया है, वहां जब बाढ़ आती है, डैमों से पानी छोड़ा जाता है, तो इन किनारों पर पानी आता है और वहां जो आबादी बस गई है, उस पूरी आबादी के आसपास पानी भर जाता है, जिससे जन-धन का नुकसान होता है। तो इसका सर्वे किया जाना चाहिए, पैमाइश करानी चाहिए कि आज नदियों की कितनी चौड़ाई है, क्योंकि आज नदियों की चौड़ाई घटकर बहुत कम हो गई है। नदियों की जमीन पर मकान बन गए हैं, जिससे काफी हानि हो रही है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, दूसरा जो गैर-मौसमी बरसात होती है या कोई हानि होती है, तो जो मुआवजा देने की बात होती है, वह मुआवजा नहीं मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2014-15 में गैर-मौसम बरसात हुई थी, किसानों को उनकी फसल के नुकसान का जो मुआवजा दिया गया था, वह आज तक भी नहीं बंटा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Veer Singh ji, please conclude.

श्री वीर सिंहः मुश्किल से 25 परसेंट किसानों को मिला है, 75 परसेंट किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है, इस ओर ध्यान देना चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ahamed Hassan. Please confine to three minutes.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Sir, this Calling Attention is really regarding a very serious issue for our country as well as our people. According to international estimates, last year, India lost three billion dollars in these floods.

Sir, I have a few specific questions to be put to the hon. Minister. My first question is regarding Flood Management Programme. The erstwhile Planning Commission laid down the Flood Management Programmes in consecutive Five Year Plans. Now that the Planning Commission has been dissolved, what is the status of this programme and has the Government introduced any new protocol to improve it?

My second question is regarding compensation criteria. When cyclone Komen hit Bengal, the State Government had the foresight and it took initiative to set up

[Shri Ahamed Hassan]
3,000 relief camps across the 12 affected districts, giving shelter to 2,14,000 people. However, in the allocation of funds to the State Government to mitigate the damages caused by the natural disaster, pre-emptive measures and the cost thereof are not taken into account by the Centre. The amount of compensation is only based on the number of lives lost. Sir, we had raised this issue in the previous Session of Parliament as well. I would like to ask the Minister as to whether the Government will consider this while deciding on relief packages, especially because it will incentivize and greatly support the States in taking pro-active and necessary steps to control damage caused by such disasters.

Sir, now, I come to my third question. What steps are being taken to strengthen existing institutions that handle disaster in the country? In the Winter Session, we had raised the issue of National Disaster Management Authority (NDMA) being ill-prepared to handle disasters. This was clearly mentioned by the CAG in its Report. Similarly, the National Disaster Response Force (NDRF) has also been reported to be ill-equipped and the funds allocated to it have remained grossly under-utilized. The NDMA was set up in 2005 and the NDRF was set up in 2006. After nearly ten years, why is the Government complacent in dealing with the disasters considering the fact that our country is often plagued by natural calamities?

Sir, my fourth question is regarding coordinated efforts in dealing with disasters. Flood disaster and its impact on the lives of people, infrastructure and the economy of the State is a multi-pronged issue. It would, therefore, require the combined effort of the Finance Ministry, the Home Affairs Ministry, the Water Resources Ministry and even the Agriculture Ministry. Has the Government taken any steps to devise an integrated Inter-Ministerial approach, not only for meetings but also for actual ground work? Would the Government consider building an Inter-Ministerial mechanism which will work along with the concerned State Governments and be activated on receiving reports of floods? Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sharad Yadav is not here. Now, listen, hon. Members, I have five more names. ..(*Interruptions*)..

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): सर ...**(व्यवधान)**... यह उत्तराखंड का ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me speak. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रदीप टम्टा: मुझे दो मिनट दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...(*Interruptions*)... I am going to say something and you don't want me to say. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रदीप टम्टाः सर ...(व्यवधान)... मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ...(व्यवधान)... सर, एक मिनट का समय दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not allowing me. ...(*Interruptions*)... You are always doing this. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not allowing me to say. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... I am asking you to sit down. ...(*Interruptions*)... You don't want me to say. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... You are not allowing me to say. This is very bad. Hon. Members, I have five more names. But party-wise names have been exhausted. We have, in fact, only one hour for this. Yes, we can stop here; I can ask the Minister to reply now. However, since the subject is that important, I am ready to allow these five Members also, but they should not take more than two minutes. ...(*Interruptions*)... Not one minute, I am allowing two minutes.

श्री प्रदीप टम्टाः सर ...(व्यवधान)... मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ...(व्यवधान)... सर, एक मिनट का समय दे दीजिए।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever names are there, I will allow. I cannot violate the convention and the rule. If the name is here, I will allow. ...(*Interruptions*)... No new name will be taken up. ...(*Interruptions*)... No new name. ...(*Interruptions*)... You could have given the name. ...(*Interruptions*)... So, you have two minutes. Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Respected Deputy Chairman, Sir, my gratitudes for a chance to call the attention of the Union Government on the flood preparedness of the nation. With the Statement of the Minister, we can understand that India is not prepared, that we are far from preparedness for flood management. It is admitted that by the end of June, more than 70 per cent of the rainfall has been recorded in India; more than 70 per cent of the area has either excessive or sufficient rainfall, and monsoon is having direct immense influence on the economy. Since this is having a diversified impact on the economy and its subsequent necessities, this is a multi-disciplinary discussion which is supposed to take place, but the Union Home Ministry is addressing this as just a disaster management programme. While in India, we have seen the Delhi floods, globe has seen the Paris havoc. Even in remote Telangana, at a place called Palakurthi in the Warangal District, where rainfall is very less, 12 cms of rain has been recorded at a stretch within three hours. This is going to have a larger ramification because we are in the climate crisis.

---

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: We are in the climate complications. So, since we are seeking the global climate justice, we need to understand the impact of the environment and the climatic complications. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My God, this is not the time to say all this. You put your question about Telangana.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Yes, Sir. I am asking for the attention to the global complication.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: There is the El Nino. The scientists are telling that we have crossed the El Nino. Now, what was El Nino? El Nino is called a 'little boy'. That is a warm event, which is a drought period. India has undergone the drought. Now, there is the 'La Nina'. What is 'La Nina'? ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that's all.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: 'La Nina' is a little girl. ...(*Interruptions*)... The little girl is having the cool environment. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: This is called the flood environment. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Our preparedness is far from away. ...(*Interruptions*)... I request the Government to ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Dilip Tirkey. ...(*Interruptions*)...

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): महोदय, हमारे देश में लगभग 13 से 14 स्टेट्स हैं, जो कि नेचुरल कैलेमिटी और फ्लड एरिया स्टेट्स हैं, जहां पर फ्लड, नेचुरल क्लेमिटी या साइक्लोन आना स्वाभाविक है। ऐसी किसी घटना के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हाई पावर कमेटी भेजती है। हाई पावर कमेटी के आने के बाद मेरे ख्याल से वे थ्री टाइम मीटिंग करने के बाद रिकमंड करते हैं, जिससे काफी देर हो जाती है। मेरे ख्याल से फर्स्ट मीटिंग के बाद ही उनको रिस्पांस करना चाहिए। कई सारे राज्यों में नेचुरल कैलेमिटी का सेपरेट मंत्रालय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि होम मिनिस्ट्री के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी वगैरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए तुरन्त रिस्पांस करने के लिए या 15 दिन के अंदर रिस्पांस करने के लिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए सेपरेट मंत्रालय बनाया जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लल्स हों, उनको शीघ्र सॉल्व किया जाए।

हमारे स्टेट ओडिशा में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, HudHud and Phailin. इस संबंध में फंड देने में काफी समय लगा है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसके लिए एक सेपरेट मंत्रालय बनाया जाए।

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I have had the opportunity to visit two-three States after the devastating floods. One is Odisha and the other one is Andhra Pradesh. We had a long discussion with the District Administration and others. Here the hon. Minister has said, "Apart from providing logistic support, the Government of India supplements the efforts of the State Governments by extending financial assistance through State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund.." These two Funds are working. But these two Funds practically have nothing to do with this. Let me explain this in a minute.

My question to hon. Minister would be this. Can you tell me about the functioning and use of State Disaster Response Fund and National Disaster Response Fund? Your officers go there. The State Government officials demand, for example, ₹ 3,000 crore. But your officers are pundits. They are so knowledgeable persons that they say, "No, it should be ₹ 1,000 crore." Please let me know how much knowledge they have. Please inform the House how they can have more knowledge than the officers of the State Governments about it. The State Government officers come to the office of the Ministry of Home Affairs. And after that, their responsibility is to cut their own throat. Why are all these things going on?

My second question is this. We have the Disaster Management Act. How is it functioning? I want to know whether the Government is thinking to abolish it or to amend it. It is a very complex thing. Things are moving from this file to that file. The people are suffering. I have been to villages in Andhra Pradesh. I have seen the devastating conditions there. One and a half months after the floods, nothing reached there. People in huge numbers surrounded us. They told us that the Governments of Andhra Pradesh and Telangana had supported them but they did not get anything from the Government of India. Then what is the use of keeping these two white elephants? I do not know about it. Thank you, Sir.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I would confine my questions to two minutes. My first question is this. It tells us how serious and sincere the Home Ministry is. One example is, in 2014, there was a devastating flood in Assam and the Central team visited to see the damages only in the month of February, 2015. That is eight months after the devastation and there was no scene of flood damage. This is one. Second thing is, so far as the NDRF *jawans* are concerned, in Assam, there are very less number of NDRF *jawans* and less number of boats. They cannot attend all the calls. The NDRF *jawans* are posted in-between 2-3 districts, not in each district. So, when the emergency arises, it takes more than 72 hours for the NDRF to reach the place of occurrence. This is second.

[Shri Ripun Bora]

Sir, my third point is that in 2014, after the formation of BJP Government at the Centre, when there was devastating flood, our State Government had made a demand of ₹ 25,015 crore, but the Centre has given only ₹ 250 crore which is nothing and which is a very, very meagre amount. So, this is the approach. Now, here in the statement, we have seen it. Most of the statement covers only the background of the flood and the causes of the flood, but there are no remedial measures and precautionary measures which the Central Government is going to take to stop the occurrence of floods. So, from this statement, it is clear that the Centre is not serious about controlling the floods.

Sir, my last point is this. During the UPA Government, our State Government had taken a decision to control floods and erosion in the entire North-East region. There was an authority called the North-East Water Resources Authority. But, after the NDA Government took over, they have stopped it and said that it should not be formed. They advised to form another organisation and another authority, that is, Brahmaputra Basin Development Authority. Accordingly, Sir, the State Government submitted all the papers. Now, two-and-a-half years have passed; the Centre has not given approval to this Brahmaputra Basin Development Authority. ...(*Time-bell rings*)... So, now, through you, my humble submission to the Home Ministry is: What action will the Home Ministry take for controlling floods and erosion in Assam? Thank you.

श्री शरद यादव (बिहार)ः उपसभापति जी, मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखना चाहता हूँ। यह जो एक नई संस्था, 'डिजास्टर मैनेजमेंट' का गठन हुआ है, यह कदम तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको विस्तारित करने की जरूरत है। देश और दुनिया में हालात इतने बिगड़ रहे हैं, मौसम, वैदर और सारा environment इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि किस समय समुद्र से आफत आएगी, किस तरह से नदी से आफत आएगी, किस तरह से सूखे से आफत आ जाएगी, यह नहीं कहा जा सकता है। यह जो 'एनडीआरएफ' बनाया गया, यह तो ठीक कदम उठाया गया, लेकिन आज देश में जरूरत इस बात की है कि इसका विभाग बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके साथ ही इस विभाग के साथ सारे मंत्रालयों का ऐसा समन्वय होना चाहिए कि जो राहत का काम है, वह ठीक ढंग से हो सके। कोसी में जब बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी, उस समय आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, मैं उनसे चार बार मिला, तब कहीं जाकर वहां पर थोड़ी-बहुत राहत मिलने का काम हुआ था। आज जंगल खत्म हो गए, पशु-पक्षी खत्म हो गए। पूरे environment को हिन्दुस्तान नहीं, दुनिया के इंसान ने बरबाद और तबाह कर दिया, इसलिए 2014-15 में बहुत बड़ी तबाही हुई है। फसलें तो चौपट हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 'फसल बीमा योजना' लागू की है, इसका टैस्ट तो अभी हो जाना है। असम, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार की सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राजस्थान जैसे सूबे में जो डैम हैं, वे ओवरफ्लो कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में भी यही स्थिति है। उत्तराखंड में तो गजब हो गया, वहां की तो ऐसी त्रासदी है कि हर वर्ष वहां पर जो धार्मिक टूरिस्ट्स जाते हैं, उनकी

3.00 P.M.

जान फंस जाती है, वहां के लोकल लोगों की जान फंस जाती है। ऊपर से जब बिजली गिरती है, तो उससे लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बुरी हालत है, इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल और ओडिशा की हालत है, जहां के बारे में अभी हमारे मित्र बोल रहे थे।

उपसभापति जी, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अकेले एनडीआरएफ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर तरफ ऐसा संकट आ जाता है। एनडीआरएफ संस्था को बने हुए अभी दो-चार साल ही हुए हैं और वह पूरी तरह से सक्षम नहीं बन पाई है। इसलिए इसका मंत्रालय अलग बनना चाहिए, तभी इस तरह की विकट परिस्थितियों से हम निपट सकते हैं। मेरी यही विनती है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। इसके लिए अलग से एक विभाग बनाने की जरूरत है ताकि सारे मंत्रालय उसके साथ समन्वित होकर इस काम में आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना जो बयान दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि 18 मई, 2016 को सारे देश के सचिवों, कमिश्नर्स, रिलीफ कमिश्नर्स, Disaster Management Departments of States/Union Territories, CWC, India Meteorological Department और INCOIS की मीटिंग हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं 29 जून को इसको रिव्यू किया, उसके बावजूद 196 लोगों की मृत्यु हुई। ये आपके आँकड़े हैं। 2,184 मवेशी मरे, ये आपके आँकड़े हैं। 38,000 घर तबाह हुए, ये आपके आँकड़े हैं। मैंने मध्य प्रदेश सरकार से ये आँकड़े लिए हैं। फसल का नुकसान तो आपने जो बताया, उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन जितने घर डैमेज हुए हैं, उस बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे यह आँकड़ा दिया है कि 32,152 मकान गिरे हैं और आप बता रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में 38,000 मकान गिरे हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि आपकी रिपोर्ट, आपका सर्वे त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा जानवर मरे हैं और कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है।

मैं कहना चाहता हूँ कि भोपाल में नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए 15 करोड़ का ठेका दिया, लेकिन कोई सफाई नहीं हुई। अरेरा कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनीज़ में भी फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया था और लोगों को छतों पर रात बितानी पड़ी, जबकि क्लियर वॉर्निंग सिग्नल्स देने चाहिए थे। वे दिए गए या नहीं दिए गए, मैं प्रश्न करूँगा। केवल भोपाल में 13,000 मकानों को नुकसान हुआ है। सतना में 14,000 मकानों को नुकसान हुआ है। वहां दीपक साहू नामक बहादुर लड़के ने तो लगभग 20 लोगों की जान बचाई, जबकि वह खुद बह गया। इसी प्रकार, पूरे भोपाल शहर में जिस प्रकार से अंधाधुंध कॉलोनीज़ कट रही हैं, उसकी वजह से सारे निकास बन्द हो रहे हैं और बाढ़ का वह मूल कारण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहता है। स्मार्ट सिटीज़ कब बनेंगी, क्या बनेंगी, इसका तो पता नहीं है, अभी उसका कॉन्सेप्ट ही उनके दिमाग में साफ नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाएँ, उससे पहले कम से कम वहां की सफाई, उसे सीवेज़ फ्री, गारबेज़ फ्री और फ्लड फ्री करें, इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निम्नलिखित प्रश्न करना चाहता हूँ:-

क्या केंद्र सरकार ने अपने यहां एमएचए में कोई कंट्रोल रूम बनाया हुआ था? अगर यहां कंट्रोल रूम बनाया गया था, तो क्या राज्य सरकारों ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ था? क्या राज्य सरकारों को मैट डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कोई वॉर्निंग सिग्नल दिए थे, क्योंकि भोपाल में जब लोग रात में सो गए थे, उसके बाद उनके घरों में पानी भर गया था?

[श्री दिग्विजय सिंह]

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश में जितना नुकसान हुआ है, उसके आकलन का कोई प्रतिवेदन आपके पास आया है? अगर आया है तो वहां कितना नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी दें क्योंकि वहां अभी तक मुआवजा बंटने की कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है। भोपाल में 14,000 लोगों के मकान गिर गए हैं, 14,000 सतना में गिर गए हैं लेकिन अभी तक एक व्यक्ति को भी मुआवजा नहीं मिला है। उपसभापति महोदय, ये मेरे कुछ प्रश्न हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, the hon. Minister.

श्री प्रदीप टम्टाः सर, मैं केवल एक मिनट चाहूंगा, कृपया मुझे समय दे दीजिए। मैं उत्तराखंड से आता हूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, he is a local Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already refused many. ...(*Interruptions*)... That is correct. I have refused many. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, he is a new Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; why an exception for him only when he has not given the name in time? I have already refused many others.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, he has just come. He did not know the rules. I am sure they will ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, do you yield for him? Would you like to yield for him? ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: He can ask one question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right.

श्री प्रदीप टम्टाः सर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। सब लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में आपदा आयी। मैं तो उस क्षेत्र से, ऐसे आपदाग्रस्त क्षेत्र से हूं, अगर समुद्र में बाढ़ आती है तो उसका पता चल जाता है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो वहां आपदा का पता चल जाता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो हर साल वह आपदा आ रही है, जो आकाश से आ रही है, जिसका कुछ पता नहीं है, कब कहां आ जाएगी! उत्तराखंड और हिमाचल में cloudburst होता है। मैं अभी एक जून को ही पिथौरागढ़ में था। वहां शाम को बारिश आती है और पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। वहां कोई पानी नहीं था, कोई धारा नहीं थी। माननीय गृह मंत्री जी यहां पर हैं। उन्होंने कहा भी है कि मुख्य रूप से आपदा देखने की responsibility राज्यों की है, केंद्र सरकार उन्हें supplement करती है। मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। हिमालय और पर्वतीय राज्यों में हर बार cloudburst के कारण जो आपदा आ रही है, जिसका लोगों को पहले से संज्ञान नहीं होता है, उसके लिए आज के दौर में, हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार से चार Doppler

radar लगाने का अनुरोध किया है। क्या इसका सिस्टम इन हिमालयी राज्यों में लगाने के बारे में, जिससे इस तरह की आपदा के बारे में लोगों को उसके शुरू होने से पहले ही आगाह कर दिया जाए, उस ओर ध्यान देगी?

मेरा दूसरा सवाल है कि जहां घर तबाह हो गया, खेत तबाह हो गया, गांव तबाह हो गये, वहां पर जो हमारे आपदा के नॉर्म्स हैं, वे इतने कम हैं कि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, क्या आपदा के मानकों में, विशेषकर जो पर्वतीय राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर क्या आपदा के मानकों में संशोधन होगा?

अंत में, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने, हमारे उत्तराखंड में 400 ऐसे गांव हैं, जिन्हें संवेदनशील बताया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे geologists कह रहे हैं कि इन गांवों को यहां से हटाना होगा। हर साल वहां ...**(समय की घंटी)**... क्या ऐसे गांवों को बसाने के लिए भारत सरकार राज्यों को सहायता देगी और इस संबंध में कोई नीति बनाएगी, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः टम्टा जी, आप नए मेम्बर हैं, लेकिन discussion में भाग लेने के लिए discussion शुरू होने से पहले नाम देना होता है।

श्री राम नारायण डूडी (राजस्थान)ः उपसभापति महोदय, हमारे यहां से मेघराज जी ने अपना नाम दिया था, पार्टी की तरफ से। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः नहीं। जो नाम थे, मैंने सभी को बुलाया है।

श्री राम नारायण डूडीः मध्य प्रदेश और आधा राजस्थान का हिस्सा बहुत प्रभावित है। वे इस संबंध में थोड़ा सा अपना मत दे दें।

श्री उपसभापतिः ठीक है, बोलिए। All right; hon. Minister has yielded. Okay; two minutes. आपके लिए नहीं, उनके लिए, Hon. Minister has agreed. So I have no problem. मेघराज जी, आप बोलिए।

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश)ः माननीय उपसभापति जी, मध्य प्रदेश में बाढ़ से महाकौशल, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल का इलाका प्रभावित हो रहा है। वहां पर इतना पानी गिरा है कि 63 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक वर्षा पिछले 48 घंटे में हुई है। भोपाल में रात भर में करीब 7 इंच पानी गिरा है। इतना पानी गिरने के बाद वास्तव में वहां पर बाढ़ की स्थिति बन गयी है। भोपाल में, सतना में नावें चलीं। भोपाल में भी घरों में पानी घुसा। सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की। मुख्य मंत्री स्वयं बाढ़ के पानी में घूमते रहे और लोगों को राहत पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में 600 लोगों को राहत शिविर में रखा गया। चार हजार लोगों को आपदा प्रबंधन द्वारा बचाया गया। भोपाल के अंदर 175 मिलीमीटर वर्षा कुल मिलाकर आठ घंटे में हुई, उसके कारण भोपाल बाढ़ से प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक वर्षा से 37 जनहानि हुई है, 9 व्यक्ति लापता हैं, 180 पशुहानि हुई है, 2,298 मकान पूर्णतः नष्ट हुए हैं और 29,854 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50 शिविर खोले गए हैं जिनमें 11,080 लोगों को व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। राशन का वितरण हुआ है, जो ओपन शिविर चल रहे हैं, उनमें

[श्री मेघराज जैन]

लोगों को रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार में इसका सर्वे हो रहा है और सर्वे की रिपोर्ट भारत सरकार के पास आ जाएगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी जाए, वह राशि मध्य प्रदेश को अलॉट करने की कृपा करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय मंत्री जी, फसल बीमा योजना के बारे में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि...

श्री उपसभापतिः ठीक है। मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री किरन रिजिजुः डिप्टी चेयरमैन साहब, "कॉलिंग अटेंशन" के माध्यम से यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, उन सब को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। उन्होंने कुछ मांगें भी की हैं और कुछ क्लेरिफिकेशन्स भी मांगे हैं। मैं उनके बारे में सीमित समय में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं पूरे सवालों को समेटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से मेम्बर्स के क्वेश्चन्स एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ-कुछ अलग हैं, जिनका मैं जवाब भी दूंगा।

सर, चाहे जितना अच्छा कार्यक्रम हो, उसकी प्लानिंग या उसका डिजाइन हो, जब तक उसका एक्जीक्यूशन नहीं होगा, उसका जमीन पर क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक अच्छी पॉलिसी या प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी, अच्छी पॉलिसी तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने एक क्लियर मानचित्र होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जब 2005 में यह डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट लोक सभा में पास हुआ था, उस वक्त मैं भी लोक सभा का मेम्बर था, तो मैंने भी अपने तरीके से उस चर्चा में भाग लिया था और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट पास किया था। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुताबिक, क्यूबा फ्रेमवर्क के मुताबिक हर देश को एक कानून बनाना था, जिसमें इंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तय करना था। उसके मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी करते हैं। राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका अध्यक्ष मुख्य मंत्री होता है और जिला में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका चेयरमैन वहां का डी. एम., कलेक्टरन या डी.सी. होता है। इसकी व्यवस्था तीन स्तर पर बनाई गई है और यह व्यवस्था चल रही है। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिए अलग से विभाग बनाना चाहिए। उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि प्लानिंग पोसेस, डिजाइनिंग का सारा काम एनडीए में करते हैं, लेकिन इसका एक्जीक्यूशन करने के लिए गृह मंत्रालय में डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन है, इसका काम हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सारी ताकत, सारी फोर्स होम मिनिस्ट्री के हाथ में होती है और जब रिस्पांस करना होता है, जब कहीं दुर्घटना होती है, कहीं इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो होम मिनिस्ट्री करती है, क्योंकि उसके पास फोर्स है, नेचुरली उसे इस चीज़ को सम्भालना पड़ता है। इसलिए रिस्पांस के तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम गृह मंत्रालय को दिया गया है, लेकिन प्लानिंग प्रोसेस प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हो रहा है।

दूसरी बात, पिछले साल जब शंघाई डिक्लेरेशन हुआ था, तब गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जापान में गए थे, वहां पर अगले 15 साल का कार्यक्रम तय किया गया। उस कार्यक्रम के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान पहला देश है, जिसके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर एक पूरी किताब है। उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों से भी अपील करना चाहूंगा कि

आप समय निकालकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को पढ़ेंगे, तो आपको भी अहसास होगा कि सरकार कितनी गंभीरता से प्राकृतिक आपदा को ले रही है।

साथ ही साथ, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोग इस साल भारत में पहली बार शंघाई डिक्लेरेशन के बाद एशियन मिनिस्ट्रियल कांफ्रेस डिजास्टर को लेकर के सबसे बड़ी एशिया और पैसेफिक की जो बैठक होगी, वह नई दिल्ली में इसी साल नवम्बर में होने वाली है। उसमें भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। उसके बाद अभी ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. BHATTACHARYA: I have to make one point, Sir.

श्री किरन रिजिजुः आप बाद में क्लेरिफिकेशन पूछ सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Don't interrupt him now. Let him complete. ...(*Interruptions*)... No, no. Bhattacharyaji, don't do that. Please.

श्री किरन रिजिजुः क्योंकि इसका ब्यौरा और टोटल कितना पैसा एलोकेट किया, कितना इसका नुकसान हुआ, मैं अपनी स्टेटमेंट में दे चुका हूं, इसलिए मैं उसको दोहराना जरूरी नहीं समझता हूं।

एक इश्यू के बारे एक सदस्य ने कहा है कि डिजास्टर एक बहुत बड़ी आपदा का मामला है, इसमें direct responsibility केंद्र सरकार क्यों नहीं लेती है? आप राज्य को primarily responsible क्यों ठहराते हैं? आप सब को इसकी जानकारी है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है? पैसे किसको मिलने चाहिए, किसकी मौत हुई और कहां नुकसान हुआ, इसका आकलन राज्य सरकार ही कर सकती है। केंद्र सरकार सीधे-सीधे अपने हाथ से पैसे नहीं दे सकती है। वह तो राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा और सारा आकलन भी केंद्र को राज्य सरकार के माध्यम से ही करना पड़ता है। इसलिए Primary responsibility lies with the State Government, कहने का अर्थ यह है कि हम उससे हाथ नहीं खींच रहे हैं। हम responsibility से दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि हम राज्य सरकार को आगे रखकर, उनके साथ में चलना चाहते हैं, इसका यही भाव है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, तब राज्य सरकारों को दो तरह से मदद मिलती है। सबसे पहले State Disaster Response Fund है। उसके मुताबिक साल के पहले ही महीने में एक साल का जो आधा पैसा है, हम पहले से ही उसको deposit कर देते हैं, ताकि जब इमरजेंसी सिचुएशन आए, तो पैसे मांगने के लिए केंद्र को न लिखना पड़े। वह पैसा पहले से ही राज्य सरकार को दिया जाता है। उसके यूटिलाइजेशन करने के बाद आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, वह automatically जाता है, लेकिन नियम के मुताबिक उसका दिखाना पड़ता है कि हमने खर्च कैसे किया? यहां से उसको कोई intervention करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जैसे जरूरी होता है, खर्च करती है।

यहां कुछ सदस्यों ने Central Team का जिक्र किया है। इसमें थोड़ी understanding कम है, मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहता हूं। हम यहां से जो Inter-Ministerial Central Team भेजते हैं, वह यह देखने नहीं जाती है कि स्टेट ने पैसा कैसे खर्च किया। जो स्टेट को पैसा दिया है अगर वह काफी नहीं है और राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, खर्च करके खत्म हो गए और आपको सेन्टर से अलग पैसा चाहिए, तब गृह मंत्रालय के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. BHATTACHARYA: No, no, Sir. He is misleading the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJIJU: I am coming to that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak after he finishes. Sit down. ...(*Interruptions*)... No, let the Minister finish his speech. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Sir...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not allowing that. Let the Minister finish his speech. ...(*Interruptions*)... Let the Minister finish his speech. Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री किरन रिजिजुः अगर माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं हैं, तो वे बाद में मुझसे क्लेरिफिशन पूछ सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात पूरी होने दीजिए।

सर, मैं एक example देना चाहता हूं कि चेन्नई फ्लड में 25 हजार करोड़ रुपया मांगा है, उसमें आप रोड का भी डाल देते हैं, ब्रिजेज़ का भी डाल देते हैं, सारे घरों का भी डालते हैं, तो उसमें एक प्रक्रिया है कि जो लांग टर्म डेवलपमेंट प्लान होता है, उसको होम मिनिस्ट्री नहीं देखती है। उसके लिए हर मंत्रालय में जैसे रोड का विभाग है, मेडिकल विभाग है, सबका अलग से दिया हुआ है। लेकिन होम मिनिस्ट्री का जो NDRF देता है, उसमें प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स हैं, जो फाइनेंस कमीशन ने एप्रूव किए हैं कि ये आइटम्स आप NDRF के तहत दे सकते हैं। हमें उन प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स के अंदर ही काम करना पड़ता है।

सर, आप तो बहुत ही सीनियर सदस्य हैं और आपको इस नियम के बारे में मालूम है कि रोड कंस्ट्रक्शन मंत्रालय अलग है, वाटर सप्लाई अलग है, इस तरह अलग-अलग व्यवस्था तो बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री जो NDRF देती है, that is relief component. हम जितना भी relief देते हैं, वह काफी नहीं होता है, हम लोग इस चीज को मानते हैं। इसलिए वह जो immediate relief दी जाती है, वह temporary relief होती है। गृह मंत्री हाई-लेवल कमेटी को चेयर करते हैं, जिस में फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेंबर होते हैं और गृह मंत्रालय द्वारा जो रिलीफ दी जाती है, वह temporary relief होती है। यह पूरे damage की भरपाई के लिए नहीं है, इसलिए आप जो कहते हैं कि आपने loss के मुकाबले relief कम दी है, इसका यही कारण है।

सर, cloudburst के बारे में काफी सदस्यों ने जिक्र किया है। हम मानते हैं कि आज के दिन cloudburst detect करने के लिए हमारे पास technology नहीं है। सर, अगर 10 सेंटिमीटर पानी एक घंटे के अंदर छोटे से इलाके में गिरता है, तो हम उसे cloudburst कहते हैं। चूंकि यह फार्मेशन 1 से 3 घंटे के अंदर होता है, उसे सैटेलाइट से देखकर लोगों को बहुत जल्दी खबर देने की टैक्नॉलोजी अभी हमारे पास नहीं है। सर, यह टैक्नॉलोजी सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं है, बल्कि No country in the world has ever been able to detect cloudburst. इस टैक्नॉलोजी को हासिल करने के लिए साइंटिस्ट्स लगे हुए हैं। हमने भी अपने देश के सारे साइंटिस्ट्स से मुलाकात कर अपील की है कि cloudburst को detect और forecast करने के लिए आप

कोशिश कीजिए। वे कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमने X-Band Radar लगाया है ताकि कम-से-कम तीन दिन के अंदर हम cloudburst का forecast कर सकें। हम साइक्लोन का फोरकॉस्ट करते हैं और लाखों लोगों की जान बचाते हैं। इस टैक्नॉलोजी की सहायता से हम सही समय पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। उसके लिए हमारे पास forecast का सिस्टम है, लेकिन हिमालय रीजन, उत्तराखंड के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने चिंता जतायी है और इसके लिए हम cloud burst forecast के बारे में कोशिश कर रहे हैं। इस बहुत बड़ी आपदा को रोकने के लिए हम scientific research के जरिए कोशिश कर रहे हैं। इस के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लोगों को इस बारे में awareness देने की भी बहुत जरूरत है क्योंकि ऐसी प्राकृतिक आपदा से सब से ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। इसके लिए हर व्यक्ति को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है कि उसे किस प्रकार सक्षम बनाया जाए कि किसी भी प्रकार की आपदा के आने पर वह अपने आप को बचा सके। हिन्दुस्तान के सभी important institutes से हमने सम्पर्क साधा है। हम जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी गए हैं और वहां इसका स्टडी सेंटर शुरू किया है। हम ने एम.फिल. की डिग्री देनी शुरू की है, ताकि इस बारे रिसर्च हो और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। इस कार्य के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी की एक टीम है, जिसमें मैं भी हूं। इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नाम कमाने या अपनी तारीफ करने या "अपने मुंह मियां मिट्ठू" नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन इस बार पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने हिन्दुस्तान के efforts की तारीफ की है। हम सब यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को इज्जत देते हैं। वैसे मुझे अपना नाम स्वयं नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस काम करने के लिए मुझे, पूरे एशिया पैसिफिक में पहली बार किसी हिन्दुस्तानी को Disaster Risk Reduction का चैम्पियन declare किया गया है। सर, मैं यह दावा नहीं करता कि हमने सब ठीक कर दिया है, लेकिन हमारी कोशिश genuine है और हमारे effort या intention पर हम दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में और श्री राज नाथ सिंह जी के नेतृत्व में होम मिनिस्ट्री लगातार यह कोशिश कर रही है कि एक भी जान नहीं जाए क्योंकि उसकी क्षति सब को होती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जान-माल का नुकसान इस तरह न हो। आप चाहेंगे तो मैं इसके आंकड़े अलग से दे दूंगा।

अब मैं एक-दो important points आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। श्री ए.यू. सिंह दिव ने सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में कहा है। इंटर रिवर लिंकिंग के बारे में एक-दो सदस्यों ने भी कहा है। सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है कि फ्लड्स और drought से बचाने के लिए इंटर रिवर लिंकिंग होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार ने इसको शुरू किया है और अन्य कुछ राज्यों ने भी इसकी प्रक्रिया आरंभ की है। हम यह चाहते हैं कि सारे राज्य इसके लिए कोशिश करें ताकि न फ्लड आए, न drought आए। यदि फ्लड आए तो उस पानी को कंट्रोल किया जा सके और सूखे में भी पानी मिले।

श्रीमती विप्लव जी ने यह सवाल किया है कि हम लोग, सेंट्रल मिनिस्टर्स टीम वहां जाकर क्यों assessment करती है, सेंट्रल टीम को क्या पता है? स्टेट जो एस्टिमेट बनाकर भेजता है, उसको सेंट्रल टीम क्यों काट देती है? मैं उसके लिए विप्लव जी को बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल टीम जाती है, वह सिर्फ स्टेट की वास्तविक जानकारी लेने के लिए ही जाती है। वह अलग से कोई स्टडी करने नहीं जाती है। जो पैसा वहां से, राज्य से, देने के लिए भेजते हैं, उसमें जो एडमिसिबल है, Finance Commission ने जितने आइटम्स तय किए हैं, उन्हीं आइटम्स के मुताबिक जो एडमिसिबल पैसा है, उसको वही तय करते हैं। वे अपनी आधिकारिक मर्जी से वह

[श्री किरन रिजिजु]
पैसा नहीं काटते हैं। वैसे भी Inter-Ministerial Team गृह मंत्रालय की नहीं है। इसका नेतृत्व गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी जरूर करते हैं, लेकिन उसमें बाकी मंत्रालयों से भी सदस्य जाते हैं।

श्रीमती विप्लव जी के बाद, माननीय डी. राजा साहब ने जो पूछा है, मैं उसके बारे में कहूंगा। माननीय डी. राजा साहब का तो हर बात पर सवाल होता है, वे हर इश्यू पर बोलते ही हैं। मैं उनसे हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप जो सजेशन देते हैं, हम उसको सीरियसली लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आप एनडीआरएफ के लिए जो बोलते हैं, Why the Centre delays in releasing the fund, there is no question of delay in releasing the fund. As I have stated, the fund is placed in the very beginning of the financial year itself whereby the State Government can use a part of the allocated amount, as and when it is required. Whenever the fund is exhausted, they have to show the Utilization Certificate and the second instalment is released as per the laid down norms.

एआईएडीएमके के हमारे साथी श्री ए. नवनीतकृष्णन जी ने चेन्नई फ्लड के बारे में जो कहा है, उसकी तो हम भी सराहना करते हैं कि, the Tamil Nadu Government had done a wonderful job in their effort in the rescue and relief operations and, at the same time, our hon. Prime Minister also went to Tamil Nadu and the Central Team, our NDRF team, our Paramilitary forces and Army also, we had deployed as per the demand and requirement of the State Government. So, we have to understand that the State Government needs more support. We are giving support for the capacity building. At the same time, we never lagged behind in extending the support, but the State Government has done a wonderful job in the whole operation.

उसके बाद विशम्भर प्रसाद जी ने नाव के बारे में बात की है। उन्होंने नाव की कमियों के बारे में कहा है। नेपाल से जो पानी आता है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताने के लिए मेरे पास तर्क भी हैं और आंकड़े भी हैं, लेकिन यह बहुत लंबा उत्तर हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारा एक coordination group बनाया गया है। नेपाल में जितने भी बांध बनाए गए हैं, जब बारिश आती है, जब वहां पर वाटर की कैपेसिटी वॉल्युम बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमने एक वॉर्निंग सिस्टम का प्रावधान किया हुआ है, ताकि बिहार, यू.पी. और पीछे जाकर, खासकर पश्चिमी बंगाल तक इसका नुकसान कम हो। पानी प्राकृतिक चीज़ है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन regulated form में सही समय पर इसकी जानकारी कैसे पहुंचनी चाहिए, इसके लिए यह व्यवस्था बनाई है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को खासकर बहुत नुक़सान होता है। हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम समय-समय पर इसकी भी आधिकारिक रूप से नेपाल के साथ चर्चा करते हैं। जहां तक extra नावों देने का सवाल है, जैसा कि हमने कहा है कि हमने राज्य सरकार को पैसा दिया हुआ है और long-term plan के मुताबिक राज्य सरकार भी इस क्षेत्र में काम करे। आप इस क्षेत्र में जो भी काम सफलतापूर्वक करते हैं, हम Central Government की ओर से उसमें मदद देते हैं।

श्री तिरुची शिवा जी ने long-term plan की बात उठाई है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, long-term plan के लिए हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें विश्व का सबसे

पहला देश हिन्दुस्तान बना। प्रधान मंत्री जी ने जो निर्देश दिया था, आप वह कागज या किताब जरूर पढ़िएगा, आपको उसमें ज्ञान मिल जाएगा कि भारत सरकार ने कितने व्यापक रूप से एक long-term planning को सामने रखा है।

श्री वीर सिंह जी ने साइक्लोन और फ्लड के बारे में जिक्र किया है। साइक्लोन का ज्यादा इफेक्ट कॉस्टल रीजन पर पड़ता है। Coastal region में खास कर सूनामी से लेकर साइक्लोन तक का effect होता है। Coastal region में भी आंध्र प्रदेश और ओडिशा traditionally most affected States रहे हैं। हमने खास कर इन दो स्टेट्स के लिए योजनाएँ चलाई हैं। अगर आप इनके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं इनके बारे में विस्तार से अलग से बता सकता हूँ, क्योंकि हमने इनके लिए काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने इस क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है। हमने इसमें इनके साथ-साथ तमिलनाडु को भी सहायता देने का प्रावधान रखा है।

अहमद हसन साहब ने compensation, incentive और Centre-State Coordination के बारे में कहा है। Coordination में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसके लिए जो incentive है, जैसा मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो incentive देती है, वह इस बात पर depend करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसका कितना use करती है। आपकी रिपोर्ट कैसी है, आपका प्रोग्राम कैसा है, वह इस पर dependent है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप, अपनी मर्जी से किसी स्टेट के लिए डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाती है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, दर्द कहां है, इसके बारे में राज्य सरकार को पता है।

आनंद भास्कर रापोलू जी ने scientific approach की बात कही है। मैं बिल्कुल agree करता हूँ कि scientific approach के बिना हम disaster का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

दिलीप कुमार तिर्की साहब ने अपने ओडिशा की बात बताई। मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि मैं यह मानता हूँ कि ओडिशा के साथ पहले भी नाइंसाफी हुई है। मैंने पहले भी सदन में कहा है कि ओडिशा ने खास कर फेलिन वाले समय में बहुत अच्छा काम किया था। उस समय उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वह सपोर्ट उसको नहीं मिला। हमने इसको संज्ञान में लिया है और यह matter हमारे मंत्रालय के consideration में है।

हमारे भट्टाचार्य दादा तो होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमिटी में खुद चेयरमैन हैं। आपके पास तो इतनी authority है कि यहां हमसे न पूछ कर Parliamentary Standing Committee में आप खुद ही अधिकारियों से इसके बारे में पूछ सकते थे। ...**(व्यवधान)**...

श्री पि. भट्टाचार्यः मेहरबानी करके आप थोड़ा उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में submit किया गया है, आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। I appreciate that you are technically sound. You are theoretically really sound. I have no doubt about it. But what I have seen with my own eyes is that it is not really percolating down to the lower levels. Kindly see to it that it percolates down to the lower levels.

SHRI KIREN RIJIJU: We take serious note of whatever recommendations are made by the Parliamentary Standing Committee. Since you are the Chairman of that Committee, we take serious note of your observations and suggestions. Definitely, the Home Ministry will scrutinize the Report of the Standing Committee. The Report is

[Shri Kiren Rijiju]
in the custody of the House. The Committee's recommendations have been placed before the House. We will look into the matter.

Sir, my colleague from Assam had said about lack of funds, and delay in release of funds by the Central Government. Sir, I want to just apprise my friend one thing. Of course, Assam in the North-East faces the brunt of natural fury every year. But the fact is, when the Assam Government requested for release of extra funds from the NDRF, we realized that the money which we had placed in the SDRF was still there in the account; that money had not been utilized fully. That is why we said that once you use that money, and if you do not have any money in the account, definitely, the Central Government has provisions about it, and it is duty-bound to help the State. But, first of all, every State must be able to use the money which has been released to them for the purpose of floods or disasters. So, my request to my colleague and all the hon. Members is that each State Government must be judiciously able to use all the money which has already been allocated under the same head, SDRF. The Centre will also give support in terms of manpower or financial help wherever it is necessary.

अंत में मैं सीनियर मेम्बर, शरद यादव जी से कहना चाहूँगा कि आपका व्यापक सुझाव रहा है। मैं आपकी बहुत कद्र करता हूँ। आप हमेशा अच्छी बात ही कहते हैं।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): मैं भी उनकी बहुत कद्र करता हूँ।

श्री किरन रिजिजुः हमारे वरिष्ठ, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि वे आपकी बहुत कद्र करते हैं। आपने जो सुझाव दिए हैं, हम लोग उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे और उन्हें चुस्त-दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश और सेंटर के बीच के एक आँकड़े के बारे में जो कहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जून की 14 तारीख तक के आँकड़े आए हैं। उसके मुताबिक मैंने कहा कि 38,285 damage of houses हैं। मैं बाकी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, house damage जितना हुआ है, उसके बारे में बता रहा हूँ। Out of 38,284, 21,770 was received from Madhya Pradesh alone as on that date. मुझे मालूम नहीं कि आपके पास जो आंकड़े हैं, वे कौन सी तारीख़ के हैं?

श्री दिग्विजय सिंहः ये मैंने 18 जुलाई को मंगवाए हैं। ये आखिरी आंकड़े हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे आज सुबह ही दिए हैं, इसीलिए मैं आपको ये आंकड़े दे रहा हूं। 32,000 की संख्या तो सिर्फ मध्य प्रदेश की है, इसलिए आपका 38,284 का आंकड़ा सही नहीं है।

श्री किरन रिजिजुः मध्य प्रदेश से हमारे पास जो एडिशनल इन्पुट आया है, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार को शायद यहां पर होने वाली चर्चा के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग वे आंकड़े पेश नहीं कर पाए, मैं इस बात को मानता हूं। इसको कम्पाइल करके मैं अपडेटेड वर्जन को सदन के सामने जरूर रख दूंगा। इसके बाद हमारे प्रदीप जी और मेघराज जैन जी ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः एक मिनट, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के कंट्रोल रूम से कोई वॉर्निंग इश्यू की गई थी?

श्री किरन रिजिजुः होम मिनिस्ट्री में 24x7 हमारा कंट्रोल रूम ऑपरेशनल रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि राज्यों में भी वहां के संबंधित मंत्रालय के पास कंट्रोल रूम जरूर होना चाहिए। हमारे बीच जो अपडेट होता है, वह ऑनलाइन होना चाहिए, रेग्युलर होना चाहिए और रीयल टाइम होना चाहिए, ताकि हमें तुरंत सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन हम यह मानते हैं कि भारत के हर राज्य के पास इसके लिए बराबर ताकत नहीं है और सबका सिस्टम भी बराबर नहीं चल रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के मामले में तो सबको सतर्क रहना चाहिए। सबके पास इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंहः आप इस बात को मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने न तो कंट्रोल रूम खोला, न उन्होंने वॉर्न किया, जिसकी वजह से इतनी जानें गई हैं। वहां पर 37 लोग मरे हैं और 9 लोग मिसिंग हैं, साथ ही हजारों-हजार घर तबाह हुए हैं। आप इस बात को मान लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay. ...(*Interruptions*)... All right ...(*Interruptions*)...

श्री किरन रिजिजुः मैं आपका सुझाव **...(व्यवधान)...** जैसे मैं शरद यादव जी को कहता हूं **...(व्यवधान)...**

श्री दिग्विजय सिंहः आप इस बात को मान लीजिए, आपको यह भी मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कंट्रोल रूम है या नहीं है। आपको यह भी मालूम नहीं है कि आपका जो रिकॉर्ड है, वह **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay.

श्री किरन रिजिजुः आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं टोका-टाकी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप भी तो वहां पर 10 साल तक मुख्य मंत्री थे। **...(व्यवधान)...**

श्री दिग्विजय सिंहः मैं इसीलिए यह कह रहा हूं। मेरे समय में इतनी तबाही नहीं हुई थी, जो आपके समय में हुई है।

श्री किरन रिजिजुः ठीक है, मैं आपका सुझाव मानता हूं। सर, यह बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपके इस सजेशन को मानता हूं कि यह होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि अगर किसी राज्य के पास कंट्रोल रूम नहीं है, तो होना चाहिए। हम इस सजेशन को लेकर स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस जरूर देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, let me ask a question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; why are you doing this? ...(*Interruptions*)... Anandji, let him complete. That issue is over. ...(*Interruptions*)... He has accepted that. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: I have an issue about my State. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. ...(*Interruptions*)... Mr. Minister, are you yielding to him?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a simple question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. Why do you do this?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is important.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You did not speak. You can ask a question if you want at the end, not like this. Mr. Singh was seeking a clarification. You did not speak. You interrupt in between. It is not correct. After he finishes, you may ask.

SHRI ANAND SHARMA: Am I a Member or not?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Pardon me?

SHRI ANAND SHARMA: Let us go by the rules then. He is speaking. Do I have a right to ask a query or not?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have a right after he finishes, not in between. In between, you can't interrupt. You see, among those who participated in the discussion, if some seek clarification, I can understand. About you, you can ask after he finishes, if you want. Some idea comes to your mind and then you pick up. That is not good. I don't agree.

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Deputy Chairman, Sir, since you are saying this, let me make one thing very clear. Is this the first time when a Minister is speaking and a Member is asking?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. He said that he is not yielding.

SHRI ANAND SHARMA: Why are you shouting at me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. He has a right not to yield.

SHRI ANAND SHARMA: You can ask him to ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. He has a right not to yield.

SHRI ANAND SHARMA: No, you did not even ask him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please sit down. Sharmaji, he has a right not to yield. He said that. He yielded to Shri Digvijaya Singh, but not to you. So, I said, 'Don't do it.' That is all.

SHRI ANAND SHARMA: You deny me the chance ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You could have waited till he finished.

SHRI ANAND SHARMA: You can ask the Minister to yield. You are denying me the right. I could have requested him. What is wrong in it? What is the objection?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am asking you to do it, if you want, after he finishes. Please sit down.

SHRI ANAND SHARMA: I am a senior Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may be a senior Member, but I have to run the House.

SHRI ANAND SHARMA: I can sit down, but this is not the way. I respect the Chair, but this is not the way.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand Sharma, you listen to me. From the Chair I told you that you can put a question after he finishes. It is for you to listen to the Chair and sit down. You cannot say that you have to put your question now. It is for the Chair to ensure that the House runs smoothly. The Chair has to regulate. I only told you that you put the question after he finishes. What is the harm in that? Sorry, Mr. Minister. Mr. Minister, you are giving lengthy answers.

SHRI KIREN RIJIJU: It is because so many questions were put.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But it is good that you are replying to every Member.

SHRI KIREN RIJIJU: I once again thank all the hon. Members who have participated in the debate and we take the suggestions positively. I hope, with these, the hon. Members will be satisfied with the position of the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, the Calling Attention has to finish in one hour. Now it has taken one hour and forty minutes.

SHRI A. U. SINGH DEO: Sir, he has not answered my question. I have only one question to put. The Odisha Government and the Chief Minister are very much concerned. The question is that without the knowledge of the Odisha Government and the Chief Minister, they have allowed the Chhattisgarh Government to build barrages on the Mahanadi. It should be stopped and both the Chief Ministers should be requested to come down — the hon. Home Minister and the Leader of the House are here — and then only this should be allowed. एक तरफ से हम लोग डूब रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में एक चीज कही कि हर बार नेपाल से बहुत पानी आता है और उसकी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश में वार्निंग सिग्नल दिए जाते हैं। लगातार कई सालों से यह समस्या चल रही है, दसियों सालों से चली आ रही है कि नेपाल से ज़बर्दस्त पानी आता है, बाढ़ आती है। उसकी वजह से दो साल पहले बिहार में कोसी रिवर से बहुत बुरी हालत हुई थी। जब हमें पता है कि यह एक परपेचुअल प्रॉब्लम है, नेपाल से पानी आता है, तो इसके लिए लांग-टर्म सॉल्यूशन क्यों नहीं सोचा जाता? पानी तो वरदान है। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, नीरज जी। वहां हम दूसरा भाखड़ा नांगल डैम तैयार क्यों नहीं कर सकते? इतना बढ़िया पानी है, बजाय इसके कि तबाही मचाए, हम दूसरा भाखड़ा नागल डैम क्यों न बनाएं? क्यों न हम इस तरह से इस समस्या की लांग-टर्म प्लानिंग करें? You should think of Bhakra Nangal.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want, Mr. Minister you can reply.

श्री किरन रिजिजु: सर, जो पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें यह चल रहा है। आपने जो सवाल पूछा, उसके लिए वह पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, जिसके माध्यम से लांग-टर्म सॉल्यूशन होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up the Motion for appointment of Members to the Select Committee of the Rajya Sabha.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I had..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You were putting a question! All right.

SHRI ANAND SHARMA: Now, Sir, this is not fair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you did not stand up. You could have stood up.

SHRI ANAND SHARMA: When I stand up, you say, 'sit down'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you can put your question.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I want to ask the Minister -- you say your Central Control Room is 24/7 -- whether you have a regular contact 24/7 with the Control Rooms set up by all the State Governments in the State capitals to issue warnings and take preventive measures. Since you have said, '24/7', is there a similar mechanism that exists between the NDRF headquarters and all the State Capitals? Kindly inform the House.

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): The hon. Minister himself admitted that the funds allocated for Disaster Management are not enough and usual floods took place in Jammu and Kashmir in 2014. In 2013, Uttarakhand saw the vast, massive devastation. The funds may not be enough. Has the Home Minister made any recce or tabulation of how many people have been rehabilitated and because of lack of funds how many still need a shelter on their heads?

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, मंत्री जी ने जो कहा, उसमें डॉप्लर राडार की कोई बात नहीं है। मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि हिमाचल में डॉप्लर राडार लग रहा है, शिमला में लग रहा है, जो यह बताएँगे कि क्लाउडबर्स्ट कब होने वाला है। क्या इसके बारे में वे मौसम विभाग से या उस मिनिस्ट्री से इन्फॉर्मेशन लेंगे?

दूसरी बात, जो आपने सड़कों के बारे में कही **...(समय की घंटी)...** क्योंकि यह स्टेट का मामला है, इसमें आप जो पैसा अलॉट करते हैं, तो क्या इसमें अलग से सड़कों के लिए इनको देंगे? मेरे ये ही दो प्रश्न हैं।

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, as I stated earlier, the Home Ministry has an emergency control room which functions 24 x 7.

We also got information from Madhya Pradesh that they have an emergency control room and we are constantly in touch with them. Since our NDRF Teams are placed at all important locations of the country – they are sent and stationed there in advance – the State Governments, in need of time, can use them. That is why I said that the primary responsibility lies with the State Government, because we cannot act on our own. We have to work with the State Government and the initiative has to be from the State Government. That is why there is no gap.

As regards issuing warning system, we have discussed, in detail, about heavy rainfall, floods, cloudburst, etc. But, we are unable to detect the cloudburst. It is difficult to forecast, because it forms in a very short period of 1 hour or 3 hours time and, suddenly, it happens in a very small locality but the affect is so devastating that there will be a huge loss. That is why we are very careful in dealing with the situation. So, I stated that we have installed X-band facility. At least, we are hopeful that we should be able to forecast, to some extent, the cause, effect or prediction with regard to cloudburst. But, we are again hopeful, in the near future, the efforts of scientists to forecast the cloudburst will bring in results. Efforts are not only being made by the Indian scientists but scientists across the globe are also making a combined effort. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Motions for appointment of Members to the Committees. First, Shri Mukhtar Abbas Naqviji.

MOTION FOR APPOINTMENT OF MEMBERS TO SELECT COMMITTEE OF RAJYA SABHA ON PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL, 2013

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Sir, I beg to move: